सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –1374 / 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. मांगी पत्नि रामा
2. भैरू पुत्र रामा
3. शंकर पुत्र रामा

समस्त जाति गूर्जर निवासी आमली तहसील सावर जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. भोजा पुत्र रूपा
2. छोटू पुत्र रूपा
3. कना पुत्र बन्ना

   समस्त जाति गूर्जर निवासी आमली तहसील सावर जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांकः–18.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सावर में पेश हुई। वादीगण / प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम आमली तहसील सावर के खाता स. 282 खसरा नम्बर 2377, 2417, 2418, 2419 किता 4 कुल रकबा 1.04 हैक्ट. भूमि वादीगण नाम दर्ज खातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के कब्जे, स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजीयात के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त को लेकर लडाई झगडा होता है। वादीगण द्वारा पूर्व में भी वादग्रस्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया था लेकिन प्रतिवादीगण ने उक्त सीमा चिन्हो को नष्ट कर दिया है। जिसके कारण वादीगण द्वारा स्वयं की आराजीयात की पत्थगढी किये जाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट सावर में पेश हुई ।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादीगण का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके वाके ग्राम आमली तहसील सावर के खाता स. 282 खसरा नम्बर 2377, 2417, 2418, 2419 किता 4 कुल रकबा 1.04 हैक्ट. भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 18.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी